न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।

जी0 आर0 नं0– 76 /25

अरवल(साइबर)थाना काण्ड संख्या 17/2024

22.02.2025 वाद पुकारा गया। मामलें में काराधीन बंदी सुब्रनील मंडल एवं अपर्णा मिस्त्री को वी0सी0 के माध्यम से कारा से प्रस्तुत किया गया एवं अभिरक्षा अधिपत्र वापस किया गया। अभियुक्तों ने कारा में किसी तरह की कोई परेशानी की बात नही कही है। साथ ही साथ प्रस्तुत मामले में कार्यालय के द्वारा आज मामले में दिनांक 17.02.2025 को प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आरोप पत्र अभियुक्तगण सुब्रनील मंडल एवं अपर्णा मिस्त्री के *विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा– 318(4), 336(3), 338, 61(2), 303(2) तथा 66(सी), 66(डी), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 02/25 दिनांक 17.02.2025 समर्पित किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। मामले में प्रथम सूचना प्रतिवेदन, पेनड्राइव एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों, आरोप पत्र कांड दैनिकी के पैरा– 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 68, 70, 75, का अवलोकन किया। तत्पश्चात् न्यायालय मामले के अभियुक्तगण 1.सुब्रनील मंडल 2. अपर्णा मिस्त्री के विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा– 318(4), 336(3), 338, 61(2), 303(2) तथा 66(सी), 66(डी), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में प्रथम दृष्टया मामला बनता हुए पाती है तत्पश्चात् अभियुक्तो* ***1.सुब्रनील मंडल 2. अपर्णा मिस्त्री*** *के विरूद्ध भा0 न्याय0 संहि0 की धारा–* ***318(4), 336(3), 338, 61(2), 303(2) तथा 66(सी), 66(डी), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000*** *में* ***संज्ञान*** *लिया जाता है। अभिलेख को निजी संचिका में रखा जाता है चूँकि मामलें में अनुसंधान जारी है तथा अभियुक्त काराधीन है। अतः अनुसंधानक को निर्देश दिया जाता है की अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान शीघ्र पूर्ण करे।*

वाद दिनांक–06.03.2025 वास्ते उपस्थापन ।

लेखापित,

Manish K Pandey 22-02-25

(मनीष कुमार पाण्डेय)
(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
अरवल।

Scanned with OKEN Scanner